बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ0सं0–3/अ0प्र0–1–127/2022 1771 /पटना, दिनांक– 14.8.23

बेगूसराय जिलान्तर्गत साहेबपुर कमाल प्रखंड में कार्य प्रमंडल, बलिया के अधीन नाबार्ड ऋण संपोषित राज्य योजनान्तर्गत बुढ़ी गंडक नदी पर आहो कृति टोला चौकी एवं विष्णुपुर आहोक के बीच निर्मित 8X24.75 मी0 आकार के उच्च स्तरीय पुल के पियर P1 एवं P2 के बीच का डेक स्लैब टूट कर नदी में गिर जाने की घटना की जाँच अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति द्वारा की गयी। अभियंता प्रमुख के पत्रांक–2950 अनु0 दिनांक–20.12.2022 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आलोच्य पुल के पीयर P1 तथा P2 के बीच के Super Structure का स्पैन तीनों मेन गर्डर के बीचों बीच टूट जाने के कारण क्षतिग्रस्त होकर नदी में गिरा हुआ पाया गया। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार पुल के पियर P1 एवं P2 के बीच का स्पैन अपने Self load के कारण ही क्षतिग्रस्त हुआ है, जो कार्य के खराब गुणवत्ता को प्रमाणित करता है।

2. उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक–2214 अनु0 दिनांक–23.12.2022 द्वारा श्री शम्स तबरेज, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री तबरेज से प्राप्त स्पष्टीकरण को समीक्षोपरांत अस्वीकार योग्य पाते हुए अधिसूचना सं0–96–सह–पठित ज्ञापांक–97 दिनांक–10.01.2023 द्वारा तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया गया। साथ हीं इनके विरूद्ध गठित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय अधिसूचना सं0–121 दिनांक–12.01.2023 द्वारा मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. मुख्य अभियंता–2–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1989 अनु0 दिनांक–30.06.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरांत समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री शम्स तबरेज के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया है। संचालन पदाधिकारी के उक्त मंतव्य के आलोक में समीक्षोपरांत श्री शम्स तबरेज को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

4. अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में श्री शम्स तबरेज, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। निलंबन मुक्त होने के पश्चात् श्री शम्स तबरेज ग्रामीण कार्य विभाग में योगदान समर्पित करेंगे।

5. श्री तबरेज के निलंबन अवधि का विनियमन का निर्णय उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लिया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

14/8/2023

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

१८७२/१४/०८/२३

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–127/2022 1772 /पटना, दिनांकः– 14.8.23

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8/2023
विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–127/2022 1772 /पटना, दिनांकः– 14.8.23

प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग,/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर/पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया/पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–12/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5 एवं श्री शम्स तबरेज, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बलिया सम्प्रति मुख्यालय–अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8/2023
विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–127/2022 1772 /पटना, दिनांकः– 14.8.23

प्रतिलिपिः–विभागीय आइ0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/8/2023
विशेष सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.in